न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम), अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या–26/2015

उ0 प्र0 राज्य––––––––––––––––––**प्रति**––––––––––––––छट्ठू गौड़ आदि।

मुकदमा अपराध संख्या–243/2014
धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर।

29.05.2024

पत्रावली प्रार्थना पत्र–23ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 पर आदेशार्थ नियत है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष की बहस विगत नियत तिथि पर सुनी जा चुकी है।

उक्त प्रार्थना पत्र 23ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 अभियोजन पक्ष की ओर से पेश करते हुए यह अभिकथन कर तर्क दिया गया है कि उपरोक्त वाद में मृतका बेवी गौड़ का मृत्यु कालिक कथन सदर तहसीलदार, फैजाबाद द्वारा अंकित किया गया है, परन्तु अभियोजन साक्षी सूची में उनका नाम अंकित नहीं है। उपरोक्त वाद के न्याय–निर्णयन के लिए कृष्ण कुमार पाण्डेय, सदर तहसीलदार, फैजाबाद को बतौर साक्षी तलब किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि कृष्ण कुमार सिंह, सदर तहसीलदार, फैजाबाद को बतौर साक्षी साक्ष्य हेतु तलब करने की कृपा की जावे।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र–23ब पर मौखिक रूप से घोर विरोध करते हुए प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

उभय पक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् परिशीलन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा की बहन मृतका के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर हत्या कारित किये जाने का अभियोग है। हस्तगत प्रकरण में सी0डी0–13, कागज सं0–14अ/18 के अनुसार मृतका द्वारा मृत्यु पूर्व बयान दिया जाना अभिवर्णित है। हस्तगत प्रकरण में मृतका बेवी गौड़ का मृत्यु कालिक कथन श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, सदर तहसीलदार, फैजाबाद द्वारा अंकित किया जाना अभिवर्णित है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तावित साक्षी को साक्ष्य अभिलिखित किये जाने हेतु तलब किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा वाद का निर्णयन गुण–दोष पर किया जाना सम्भव नहीं होगा। चूंकि मृत्युकालिक कथन के अनुक्रम में उक्त प्रस्तावित साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित किया जाना अभिकथित है, इसलिए मृतका का उपर्युक्त वर्णित मृत्यु कालिक कथन भी तलब किया जाना आवश्यक है। प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उक्त आवेदन पर मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है, जो औपचारिक प्रकृति की है।

उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन 23ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2024.05.29 17:38:53 GST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन–23ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, सदर तहसीलदार, फैजाबाद जरिए सम्मन तलब हों। मृतका का मृत्युकालिक कथन भी तलब हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांकः–24.06.2024 को पेश हो।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकरनगर।
J.O. CODE-UP6480